

प्रेस विज्ञप्ति थाना तिवारीपुर गोरखपुर-दिनांक 20.09.2022

बरामदगी एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कोतवाली गोरखपुर के निर्देशन में थाना तिवारीपुर की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जफर खाँ पुत्र हैदर अली निवासी हरीश चौराहा निकट जाफरा बाजार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ दिनांक 20.09.22 को गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना तिवारीपुर पर मु0अ0सं0-152/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जफर खाँ उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र हैदर अली निवासी हरीश चौराहा निकट जाफरा बाजार थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 152/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी- एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 0230/2022 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
2. मु.अ.सं. 0018/2021 धारा 120-B, 147, 323, 34, 342, 380, 411, 427, 452, 504, 506 भा0दं0सं थाना तिवारीपुर गोरखपुर
3. मु.अ.सं. 0081/2015 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
4. मु.अ.सं. 0082/2015 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
5. मु.अ.सं. 208/2013 धारा 120B, 307, 307 भा0दं0सं थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
6. मु.अ.सं. 0980/2010 धारा 323, 323, 504, 504, 506, 506 भा0दं0सं थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
7. मु.अ.सं. 0181/2006 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी-

- 1.उ0नि0 पंकज यादव, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर ।
- 2.उ0नि विनय कुमार पाण्डेय, थाना तिवारीपुर, गोरखपुर ।
- 3.का0 दीपक यादव थाना तिवारीपुर, गोरखपुर ।
- 4.का0 अंकित यादव थाना तिवारीपुर, गोरखपुर ।